

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
सोमवार, 9 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद, 18, 1918 ॥ शक ॥

संख्या : 277

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस,  
पश्चिमी जिला, नई दिल्ली से दिनांक : 28.07.96 को निम्नलिखित सूचना  
दिनांक : 30.07.96 को प्राप्त हुई :-

"दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65  
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों  
का निवाह करते हुए मुझे आपको यह सूचित करना  
है कि श्री देवेन्द्र सिंह, विधायक को पुलिस अधि-  
कारियों के आदेशों का पालन न करने के कारण  
गिरफ्तार किया गया। उन्हें दिनांक : 28.07.96  
को अपराह्न 1.20 बजे गिरफ्तार किया गया  
और पुलिस थाना, नांगलोई, पश्चिमी जिला,  
दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में 28.07.96 को अपराह्न न  
2.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, September 09, 1996/Bhadrapad 18, 1918 (Saka)

No. 277

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 28.7.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from the Deputy Commissioner of Police, West Distt., New Delhi on 30.7.96 :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers u/s 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Shri Devendra Singh, M.L.A. be detained for not complying with the directions of the Police Officers. He was detained at 1320 hours on 28.7.96 and was released at 1400 hours on 28.7.96 in the jurisdiction of P.S. Nangloi, West Distt., Delhi."

P.N. GUPTA  
SECRETARY